संख्या-99/2025/1059/26-3-2025-1353690

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :-24अप्रैल 2025

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4243/स0क0/ए0टी0एस0/बजट स्वीकृति/अनुसं0-83/2025-26 दिनांक 11-04-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 38569.67 लाख के सापेक्ष रू0 9642.41750 लाख **(रू0 छियान्वे करोड़ बयालीस लाख बयालीस इक्तालीस हजार सात सौ पचास मात्र)**) की निम्नवत् तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अग्रलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्ष: 2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	01 वेतन	5,50,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)
2	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	02 मजदूरी	1,12,50,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र)
3	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	03 मंहगाई भत्ता	3,30,00,000 (रुपये तीन करोड़ तीस लाख मात्र)
4	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	04 यात्रा व्यय	1,07,250 (रुपये एक लाख सात

				हजार दो सौ पचास मात्र)
5	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	43,250 (रुपये तैंतालीस हजार दो सौ पचास मात्र)
6	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	06 अन्य भत्ते	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
7	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	07 मानदेय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
8	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	08 कार्यालय व्यय	23,50,000 (रुपये तेईस लाख पचास हजार मात्र)
9	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	09 विद्युत देय	2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
10	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	10 जलकर / जल प्रभार	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
11	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3,25,000 (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)
12	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	24,75,000 (रुपये चौबीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
13	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
14	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
15	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
16	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	19 विज्ञापन, बिक्री और	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास

			विख्यापन व्यय	हजार मात्र)
17	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	29 अनुरक्षण	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
18	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	39 औषधि तथा रसायन	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
19	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	41 भोजन व्यय	34,20,00,000 (रुपये चौंतीस करोड़ बीस लाख मात्र)
20	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	42 अन्य व्यय	87,50,000 (रुपये सतासी लाख पचास हजार मात्र)
21	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
22	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	36,250 (रुपये छत्तीस हजार दो सौ पचास मात्र)
23	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,50,000 (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र)
24	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	49 चिकित्सा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
25	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	51 वर्दी व्यय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
26	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	55 मकान किराया भत्ता	12,55,000 (रुपये बारह लाख पचपन हजार मात्र)
27	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	35,00,00,000 (रुपये पैंतीस करोड़ मात्र)
	कुल			**96,42,41,750** (रुपये छियानवे करोड़ बयालीस लाख

				इकतालीस हजार सात सौ पचास मात्र)

महायोग	96,42,41,750 (रुपये छियानबे करोड़ बयालीस लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास मात्र

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्रस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 / दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by

Rajani Kant Pandey

Date: 23-04-2025 17:51:15

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।